न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/101/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/347

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री दिनेश कुमार जैन, मु.पो. रैणी, तहसील–रैणी, जिला–अलवर (राज.)–301409		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 16.08.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 29.08.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 28.06.22 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी, उपायुक्त (मुख्यालय) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री दिनेश चौबे, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा रैणी, राजगढ, लक्ष्मणगढ, किशनगढबास एवं थानागाजी क्षेत्र में दिनांकः 01.01.2017 से दिनांकः 27.06.2022 तक किए गए राशन दुकानों के निरीक्षण, निरीक्षण में पाई गई कमियों पर राशन डीलरों के विरूद्ध की गई कार्यवाही संबंधी विविध 01 लगायत 10 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. आवेदन में वांछित सूचना, जिला रसद अधिकारी अलवर के नियंत्रणाधीन होने के कारण खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत मूल आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी अलवर को अन्तरित किया गया है।
5. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 04.08.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई।
6. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/2028 दिनांकः 26.08.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
7. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील प्रा0पत्र एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का विधिक परीक्षण किया गया।
8. अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन एवं अपील में वांछित सूचना बेहद विस्तृत, श्रमसाध्य, सर्च कराकर उपलब्ध कराने वाली एवं समयसाध्य है, वांछित सूचना पूर्ण विशिष्टीकृत भी नहीं है जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1)बी एवं धारा 7(9) के आलोक में उपलब्ध कराया जाना किसी भी लोक प्राधिकरण के लिए संभव नहीं है।
9. उक्त आलोक में **अपील,** अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी को सूचना आवेदन–पत्र दिनांकः 28.06.22, लोक सूचना अधिकारी, उपायुक्त (मुख्यालय) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्र दिनांकः 07.07.2022 से अन्तरित होकर प्राप्त हुआ है किन्तु आवेदन पर प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील में जारी नोटिस के उपरांत पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/1977 दिनांकः 24.08.2022 के माध्यम से सूचना प्रेषित कर/विनिश्चय कर पत्र सं. 2028 दिनांकः 26.08.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है व सूचना आवेदनों के निस्तारण के प्रति आपकी उदासीनता का परिचायक है। अतः भविष्य में इस अधिनियम अंतर्गत प्राप्त सूचना आवेदनों पर विहित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाना सुनिश्चित करावें।
11. आज दिनांकः 29.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)